M	T	W	T	F	S	S
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

★ मानव अधिकार

चुनौतियाँ

इसके मद्देनजर भारत में मानवाधिकार आयोग के सामने मौजूदा चुनौतियों पर एक नजर डालते हैं :-

★ बात दर असल यह है कि केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारें आयोग की शिकायतों को मानने के लिए बाध्य नहीं हैं लिहाजा मानवाधिकार के मजबूती से प्रभावी नहीं रहने का सबसे बड़ा कारण राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव ही है। यही कारण है कि हर जिले में एक मानवअधिकार न्यायालय की स्थापना का प्रावधान कागजों में ही रह गया। वहीं दूसरी तरफ राज्य मानवाधिकार आयोग केन्द्र से जवाब-तलब नहीं कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि ~~सशस्त्र~~ सशस्त्र बल भी इनके दायरे बाहर है। यहाँ तक कि राष्ट्रीय आयोग भी सशस्त्र बलों पर मानव अधिकार के हनन के आरोप लगने पर ~~कोई~~ केवल रिपोर्ट मांग सकता है। ~~जबकि ग~~

★ जबकि गवाहों को बुलाया नहीं जा सकता उनकी जांच-पड़ताल, पूछ-ताछ नहीं कर सकता साथ ही आयोग के पास मुआवजा दिलाने के लिए सहूलियत तो है लेकिन अपराधियों को पकड़ने की दिशा में जांच-पड़ताल करने का कोई अधिकार नहीं है।

★ सरल शब्दों में कहें तो आज भी मानव अधिकार आयोग के पास सीमित शक्तियाँ हैं। मानवअधिकार संरक्षण कानून के तहत आयोग उन शिकायतों की जाँच नहीं कर ~~सकता जो घटना होने के एक साल~~ बाद दर्ज कराई गई हो। लिहाजा अनेक शिकायतें

बिना जाँच के ही रह जाती है।

☆ पदों का खाली पड़े रहना, संसाधनों की कमी, मानवाधिकारों के प्रति जन-जागरूकता की कमी, अत्यधिक शिकायतें आना और आयोग के अंदर नौकरशाही हुई सी कार्यशैली इत्यादि इन आयोगों की समस्या रही है। हालांकि ये तमाम कारण जाने-पहचाने हैं, लेकिन फिर भी इन्हें गंभीरता से नहीं लिया गया। लिहाजा अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए यह आयोग खुद को लाचार पाते हैं।

इस स्थिति में मानवअधिकार आयोग भी सवालों के घेरे में आ गया है। इसकी तुलना उस गाय से की जाने लगी है जो चारा भी खाती है, जिसकी देखभाल भी होती है परंतु दूध नहीं दे सकती। लोगों का कहना है कि अगर मानवअधिकार आयोग आम आदमियों के लिए है तो भारत के दूर-दराज इलाकों में रह रहे लोग जहाँ अशिक्षा और गरीबी व्याप्त है अपने मूलभूत अधिकारों के बारे में अनजान क्यों हैं।

स्वयं मानवअधिकार आयोग के सदस्य भी तभी सचेत होते हैं जब किसी क्षेत्र विशेष में कोई बहुत बड़ा हादसा हो गया हो जैसे: बलात्कार, फेक एनकाउन्टर, कोई जातिगत अथवा साम्प्रदायिक हिंसा आदि।

इन परिस्थितियों में क्या NHRC या राज्य मानवअधिकार आयोगों को एक निष्प्रभावी संस्था मान लिया जाए। क्या इसका हल सुप्रीम कोर्ट तथा इन आयोगों के पास है? इन्हीं सवालों को देखते हुए जरूरी है विचार करना कि इस संबंध में आगे की राह क्या हो।

आगे की राह

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ARC ने अपनी रिपोर्ट में कुछ सिफारिशें की हैं कि जिससे मानव अधिकार आयोग को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके।

☆ प्रशासनिक सुधार का मानना है कि NHRC को विभिन्न सांविधिक आयोगों के समक्ष शिकायत करने के लिए एक-दूसरे के परामर्श से एक समान प्रारूप तैयार किया जाए। इसके लिए पीड़ितों और शिकायत कर्ताओं का ~~ब्यौरा~~ ब्यौरा इस प्रकार से दी जाए जिससे विभिन्न आयोगों के बीच डाटा का तालमेल आ सके बन पाए। साथ ही मानवअधिकार आयोगों को शिकायतों का निपटारा करने के लिए अन्य उपयोगी आयोगों द्वारा मानदण्ड निर्धारित किए जाने चाहिए। ऐसे मुद्दे पे कार्यवाही के निर्धारण तथा उसके समन्वयन के लिए आयोग में नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएं और कार्यवाही को अधिक सफल बनाने के लिए प्रत्येक सांविधिक आयोग के अंदर एक आंतरिक पद्धति विकसित की जाए।

☆ केन्द्र तथा राज्य सरकारें को भी गंभीर अपराधियों से निपटने के लिए सक्रिय कदम उठाने चाहिए। इसके लिए सरकारें मानवअधिकार आयोग की सहायता भी ले सकती हैं।

☆ गंभीर तंत्र पर सरकार को शख्त कदम उठाने की ~~आवश्यकताएँ हैं~~ जरूरत है।

☆ साथ ही सरकार तथा मीडिया को गंभीर मसलों के साथ-साथ आम मसलों पर भी अपनी उदासीनता को त्यागने की सख्त जरूरत है।

Scanned with OKEN Scanner

☆ स्वयं राष्ट्रीय मानवअधिकार आयोग सहित संबद्ध राज्य आयोगों का भी यह कर्तव्य होना चाहिए कि वह देश के संजीदा मसलों पर अपनी मौजूदगी जता कर समस्याओं का समाधान खोजने में सरकार की सहायता करे जो उनके अधिकार क्षेत्र के अंदर भी नहीं आते। तभी सही मायनों में देश के मानवाधिकारों की रक्षा हो पाएगी। जब सभी संस्थाएँ मिलजुल कर देश की एकता और अखंडता को बरकरार रखने में एक-दूसरे का सहयोग करेंगी। जरूरत है तो सिर्फ एक नेक पहल की।

इन पहलुओं को ध्यान में रखते हुए एक सवाल फिर भी उत्पन्न हो रहा है कि :-

आज भी आम नागरिक जिन समस्याओं का सामना कर रहा है, क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग उनका समाधान निकाल कर उनके मानव अधिकारों की रक्षा कर पाने में सफल हो पाता है?

Dr. Vinita Bharadwaj

सरकार ने हमें सुविधाएं तो दी हैं लेकिन छीने नहीं हमें हमारे